2.1

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे—शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

जिला योजना 2011—12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/ जिला योजना / 2011—12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर (पूर्व विधान सभा, कांडा) के अन्तर्गत जौलकांडे—शीशाखानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के निर्माण (प्रथम चरण) हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम शीशाखानी (आवादी 312) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा हैं। भारत सरकार द्वारा 250 से अधिक आवादी के सभी ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु योजना संचालित की जा रही है उसी के क्रम में इस मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया गया है। ग्राम शीशाखानी के निवासियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि एवं बागवानी पर आधारित है। यहां पर विभिन्न प्रकार के फलों एवं शाक भाजी की अच्छी पैदावार होती है परन्तु विप्पणन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता जिससेा नव युवकों का खेती की ओर से रूझान कम होता जा रहा है। सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित अमसरकोट—जौलकांडे मोटर मार्ग के कि0मी0 8 के अंत से प्रस्तावित किया गया है और शीशाखानी तक इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 4 कि0मी0 आती है। जंगल के निकट का ग्राम होने से स्थानीय जनता अपनी दैनिक आवश्यकता हेतु जंगलों पर निर्भर रहती हैं जिस कारण प्रति वर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता है। जंगलों को बचाने हेतु शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रसोई गैस के उपयोग पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से लगभग 50 परिवारों को यातायात एवं परिवहन सुविधा के साथ ही रसोई गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों के त्वरित संचालन हेतु कम समय में अधिक से अधिक सहायता पहुँचायी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को अपने उत्पादों को नजदीकी मुख्य बाजार बागेश्वर तक लाने में मदद मिलेगी एवं उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। स्कूली बच्चों को अध्ययन हेतु बागेश्वर स्थित विघ्यालयों में आने जाने की सुविधा होगी जिससे मुख्यरूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकांश लम्बाई में वन भूमि आने एवं ग्रामीण मोटर मार्ग होने के कारण न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 07 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया जा रहा है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त अवशेष मलवे के निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों के क्षेत्रफल को लैन्ड शैडयूल में अलग से जोड़ा गया हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही निर्देशानुसार 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण वर्तमान निर्मित अमसरकोट—जौलकांडे मोटर मार्ग के कि.मी. 8 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार संरेखण में आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। इस संरेखण में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। लम्बाई कम आ रही है एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण आरम्भ में संरेखण संख्या 1 के अनुसार ही रखा गया है परन्तु अधिकांश भाग आरक्षित वन भूमि से होकर जा रहा है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक आरक्षित वन क्षेत्र व वृक्ष प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 4.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 2.2354 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 181 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर